फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गोपाल. दवे निवासी 168/3, शीतल नगर, बाणगंगा इन्दौर मध्यप्रदेश — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 20/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— सू0अ,2005/2025/16 दिनांक 25.03.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री गोपाल दवे निवासी 168/3, शीतल नगर, बाणगंगा, इन्दौर मध्यप्रदेश का इस कार्यालय में दिनांक 19.02.2025 में आवेदन रजिस्टर्ड डाक मार्फत प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही जाने वाली सूचना तैयार की गई जिसके पृष्ठ संख्या 68 होकर उक्त तैयार सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सूचना का अधिकार/2025/11 दिनांक 12.03.2025 से लिखा जा चुका था। दिनांक 24.09.2025 को आवेदनकर्ता इस कार्यालय में उपस्थित हुआ और निःशुल्क सूचना प्रदान करने हेतु कहने पर प्रार्थी को सशुल्क सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आवेदनकर्ता के द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर अंकित किया कि दिनांक 24.03.2025 रूपये 136/— जमा कराये गये व हस्ताक्षर किये। आवेदनकर्ता ने नकल प्राप्त कर कहा मेरे पास रूपये खुले नही है। लेकर आता हूँ किन्तु वह बिना राशि जमा कराये सूचना प्राप्त कर चला गया। आवेदनकर्ता बार—बार कार्यालय में आकर अनावश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लगा अनुचित दबाव बनाता है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना जरिये पत्रांक सूचना का अधिकार/2025/11 दिनांक 12.03.2025 से अपीलार्थी को	

उपलब्ध करा दी गई है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के लिए विशिष्टियो का अंकन कर पुनः नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त अपील को निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7/4/25

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)